



-प्रेस नोट-

दिनांक: 22.10.2024

**वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश**

**थाना कुतुबशेर, सहारनपुर पुलिस द्वारा लूट के मुकदमें में 20,000/- रुपये के इनामी वांछित हिस्ट्रीशीटर अभियुक्त बाद पुलिस मुठभेड़ घायलवस्था में गिरफ्तार, कब्जे से लूटे गये 10000/- रुपये, 01 मोटरसाइकिल (बिना नम्बर प्लेट), 01 तमंचा व 02 खोखा/01 जिंदा कारतूस 315 बोर बरामदा**

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में जनपदीय पुलिस द्वारा अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु लगातार सघन गश्त व कड़ी चौकियों की जा रही है। इसी क्रम में दिनांक 21.10.2024 की रात्रि को जब थाना कुतुबशेर पुलिस द्वारा ग्राम भावपुर के पास संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चौकियों की जा रही थी तभी ग्राम हौजखेड़ी से ग्राम भावपुर की तरफ जाने वाली रोड से एक मोटरसाइकिल बिना नंबर प्लेट पर सवार दो व्यक्ति आते दिखाई दिये, जिन्हें पुलिस टीम द्वारा टार्च दिखाकर रुकने का इशारा किया गया तो वह नहीं रुके और मोटरसाइकिल वापिस मोड़कर ग्राम हौजखेड़ी की तरफ भागने लगे। पुलिस टीम द्वारा उनका पीछा किया गया, कुछ दुरी पर उनके द्वारा भागने की कोशिश में मोटरसाइकिल फिसलकर गिर गई। जैसे ही पुलिस टीम नजदीक पहुँची तो संदिग्ध व्यक्तियों द्वारा अचानक से पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग की गई। पुलिस टीम की आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग में 01 बदमाश के दाहिने पैर में गोली लगने से घायलवस्था में गिरफ्तार किया गया एवं 01 बदमाश अंधेरे व खेतों का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया। घायल बदमाश को इलाज हेतु जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गिरफ्तार/घायल बदमाश की पहचान **दानिश पुत्र शाहिद निवासी पीर वाली गली, थाना मण्डी, सहारनपुर** के रूप में हुई। फरार बदमाश की तलाश हेतु कॉम्बिंग की जा रही है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से लूटे गये 10000/- रुपये, 01 मोटरसाइकिल (बिना नम्बर प्लेट), 01 तमंचा, 02 खोखा एवं 01 जिंदा कारतूस 315 बोर बरामद हुए। गिरफ्तार बदमाश के विरुद्ध जनपद के विभिन्न थानों में **एनडीपीएस, लूट, आर्म्स एक्ट व गोकशी ईत्यादि जैसे गंभीर अपराधों में कुल 15 मुकदमें दर्ज हैं। अभियुक्त थाना मण्डी सहारनपुर का प्रचलित हिस्ट्रीशीटर है।** गिरफ्तार एवं फरार अभियुक्त के विरुद्ध थाना कुतुबशेर पर मु0अ0स0 316/24 धारा 109/317(5) बीएनएस व 3/25/27 आयुद्ध अधिनियम पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**पूछताछ का विवरण-** गिरफ्तार अभियुक्त दानिश ने पूछताछ करने पर बताया कि मैं कम पढा लिखा हूँ तथा नशा करने का आदि हूँ। मैंने करीब 01 माह पहले बकरी वाला चौक से एक व्यक्ति से 50,000/- रुपये लूटे थे। पुलिस द्वारा मेरे पास से जो 10000/- रुपये बरामद किये गए हैं वे लूट के रुपयों में से बचे थे और बाकी मैंने खर्च कर दिए। आज मैं व मेरा साथी ग्राम हौजखेड़ी की तरफ जा रहे थे। रास्ते में पुलिस को चौकियाँ करता देख पकड़े जाने के डर से हमने पुलिस टीम पर फायरिंग की थी, पुलिस की जवाबी कार्यवाही में एक गोली मेरे पैर में लगने के कारण मुझे पकड़ लिया गया एवं मेरा साथी भाग गया। ये मोटरसाइकिल मैंने कमेला रोड से चोरी की थी। मैं पहले भी सहारनपुर के अलग-2 थानों से जेल गया हूँ।

**गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-**

दानिश पुत्र शाहिद निवासी पीर वाली गली, थाना मण्डी जनपद सहारनपुर।

## **बरामदगी का विवरण:-**

- लूटे गये 10000/- रूपये।
- 01 तंमचा, 02 खोखा कारतूस, 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर।
- 01 मोटरसाईकिल बिना नम्बर प्लेट

## **अभियुक्त दानिश का आपराधिक इतिहास:-**

1. मु0अ0स0 472/17 धारा 324 भादवि थाना मण्डी, सहारनपुर
2. मु0अ0स0 54/19 धारा 3/5/8 गोवध अधि0 थाना मण्डी, सहारनपुर
3. मु0अ0स0 374/20 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना मण्डी, सहारनपुर
4. मु0अ0स0 155/21 धारा 3/10 गुण्डागर्दी नियंत्रण अधि0 थाना मण्डी
5. मु0अ0स0 156/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना मण्डी, सहारनपुर
6. मु0अ0स0 339/21 धारा 3/10 गुण्डागर्दी नियंत्रण अधि0 थाना मण्डी, सहारनपुर
7. मु0अ0स0 340/21 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना मण्डी, सहारनपुर
8. मु0अ0स0 341/21 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना मण्डी, सहारनपुर
9. मु0अ0स0 465/21 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना मण्डी, सहारनपुर
10. मु0अ0स0 152/22 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना मण्डी, सहारनपुर
11. मु0अ0स0 153/22 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना मण्डी, सहारनपुर
12. मु0अ0स0 275/23 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना मण्डी, सहारनपुर
13. मु0अ0स0 293/24 धारा 115(2)/191(2)/191(3)/333/351(3)/74 बीएनएस थाना मण्डी, सहारनपुर
14. मु0अ0स0 506/24 धारा 115(2)/304(2)/324(3)/352 बीएनएस थाना सदर बाजार, सहारनपुर
15. मु0अ0स0 270/24 धारा 309(4) बीएनएस थाना कुतुबशेर, सहारनपुर
16. मु0अ0स0 316/24 धारा 109/317(5) बीएनएस व 3/25/27 आयुद्ध अधिनियम थाना कुतुबशेर, सहारनपुर

## **गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम:-**

1. प्रभारी निरीक्षक श्री सुनील नागर थाना कुतुबशेर, सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री असगर अली थाना कुतुबशेर, सहारनपुर
3. उ0नि0 श्री सचिन पूनिया थाना कुतुबशेर, सहारनपुर
4. का0 1808 आशीष थाना कुतुबशेर, सहारनपुर
5. का0 1811 राहुल थाना कुतुबशेर, सहारनपुर
6. का0 1826 मोनू कुमार थाना कुतुबशेर, सहारनपुर



दिनांक 22.10.2024

-प्रेस नोट-

**वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश**

**थाना सदर बाजार पुलिस द्वारा लूट की घटना का सफल अनावरण करते हुए 02 शातिर लूटेरे/अभियुक्त गिरफ्तार, अभियुक्तगण के कब्जे से 01 कत्थई रंग का लेडिस लैडर का बैग, 01 मोबाइल (ओप्पो कम्पनी), 01 मोबाइल रेनो 11 5जी (ओप्पो कम्पनी), घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद**

अवगत कराना है कि दिनांक 19.10.2024 को वादिया श्रीमती सीता देवी पत्नी श्री रमेश चन्द निवासी 6857 ए, जोशी वाली गली न0-7 न्यू नवीन नगर थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत अज्ञात मोटरसाइकिल सवार व्यक्तियों द्वारा दिल्ली रोड बसन्त विहार के पास से वादिया का पर्स छीनने के सम्बन्ध में थाना सदर बाजार पर मु0अ0सं0 611/24 धारा 304(2)/62 बीएनएस के पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा तत्काल घटना का संज्ञान लेकर अभियुक्तों की गिरफ्तारी व बरामदगी हेतु प्रभारी निरीक्षक सदर बाजार को आदेश-निर्देश दिये गये थे। आदेश के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर के निर्देशन में नकबजनी/लूट/चोरी आदि घटनाओं की रोकथाम व नकबजन/शातिर अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सुबे सिंह के कुशल नेतृत्व में दिनांक 22.10.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना सदर बाजार पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में लूट की घटना का सफल अनावरण करते हुए 02 शातिर लूटेरे/अभियुक्त 1. विनित पंवार पुत्र कुंवर सिंह पंवार निवासी बी-2, पुराना आवास विकास थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर हाल पता मायापुरी कालोनी नवादा रोड निकट ग्राम फतेहपुर थाना सदर बाजार सहारनपुर व 2. हिमान्शु कटारिया पुत्र प्रवीण कटारिया निवासी आरके पुरम कालोनी गलीरा रोड थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर को रेलवे कालोनी सेंट मैरी स्कूल वाले तिराहे से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण के कब्जे से 01 मोबाइल फोन (ओप्पो रेनो 11 5जी) का रंग सी ग्रीन, 01 कत्थई रंग का लैडर का लैडीज बैग (जिसको खोलकर देखा गया तो बैग अन्दर 01 लैडीज गर्म कुर्ती रेडीमेट रंग गाडा फिरोजी व हल्के पीले रंग का सूट का कपडा, 01 मोबाइल ओप्पो कम्पनी रंग गाढा नीला व घटना में प्रयुक्त 01 मोटरसाइकिल अन्तर्गत धारा 207 एमवी एक्ट में सीज बरामद। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) बीएनएस वृद्धि की गयी। अभियुक्तगण के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

**विवरण पूछताछ-** अभियुक्तगण ने पूछताछ पर बताया कि हम दोनो दोस्त हैं और हम दोनो ही नशा करने के आदी हैं। घर से पैसे नहीं मिलते तो चोरी चकारी व झप्पटामारी करके अपने नशे का खर्चा चला लेते हैं। दो दिन पहले मैं, हिमान्शु को साथ लेकर दिल्ली रोड बसन्त विहार के रास्ते रेनबो स्कूल के पास अपनी मो0सा0 रजि0 UP 12G 2738 से घूम रहा था। हिमान्शु ने मुंह पर रुमाल बांध रखा था तथा मैं मोटरसाइकिल चला रहा था। तो हमने बसन्त विहार की ओर से आ रही एक महिला के कन्धे पर टंगे पर्स पर झप्पटा मारा जिससे पर्स की एक तनी हिमान्शु ने पकड ली थी और बैग महिला के हाथ में था। महिला सडक पर गिर गयी थी। लेकिन उसने अपना पर्स नहीं छोडा काफी दूर तक सडक पर रगड़ने के बाद भी पर्स उसके हाथ से नहीं छुटा तो हम घबराकर अपनी मो0सा0 को तेजी से चलाकर गलियों के रास्ते वहाँ से भाग गये थे तथा घूमते फिरते हम दोनो बेहट अडडा सहारनपुर पहुंचे और गलियों में किसी अकेली महिला की तलाश करने लगे तभी हमें एक महिला जाती हुयी दिखायी दी जिसके कन्धे पर पर्स टंगा हुआ था। तो मेरे पीछे मो0सा0 पर बैठे हिमान्शु के द्वारा झपट्टा मारकर उस महिला का पर्स छीन लिया था और महिला नीचे सडक पर गिर गयी थी। और हम दोनो वहाँ से गलियों के रास्ते होते हुये रेलवे कालोनी पहुंचकर बैग खोलकर देखा तो उसमें दो सूट, 01 मोबाइल व 400 रुपये मिले थे, रुपये को हमने खाने पीने में खर्च कर दिया और बैग को रेलवे लाईन के खाली व बन्द पडे क्वार्टर में छिपा

दिया था। और छीने गये मोबाईल को बेचने के लिये ग्राहक की तलाश कर रहे थे तथा जो मोबाईल मेरी जीन्स से आपने बरामद किया है उस मोबाईल को हम दोनो ने करीब तीन महीने पहले कोर्ट रोड से एक व्यक्ति से छीना था।

### गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

1. विनित पंवार पुत्र कुंवर सिंह पंवार निवाली B-2, पुराना आवास विकास थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर हाल पता मायापुरी कालोनी नवादा रोड निकट ग्राम फतेहपुर थाना सदर बाजार सहारनपुर
2. हिमान्शु कटारिया पुत्र प्रवीण कटारिया नि० आर०के० पुरम कालोनी गलीरा रोड थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर

### बरामदगी का विवरण –

- 01 मोबाइल फोन रैनो 11 5जी ओप्पो कम्पनी रंग सी ग्रीन (सम्बन्धित मु०अ०सं० 408/24 धारा 304(2) बीएनएस थाना सदर बाजार सहारनपुर)
- 01 लैडर का लैडीज बैग (बैग अन्दर 01 लैडीज गर्म कुर्ती रेडीमेट व 01 पीले रंग का सूट का कपडा 01 मोबाइल ओप्पो कम्पनी रंग गाढा नीला) सम्बन्धित मु०अ०सं० 441/24 धारा 304(2) बीएनएस थाना को० देहात सहारनपुर
- 01 मोटरसाइकिल UP 12 G 2738 (घटना में प्रयुक्त) सीज अन्तर्गत धारा 207 एमवी एक्ट

### अभियुक्त हिमान्शु उपरोक्त का आपराधिक इतिहास:

1. मु०अ०सं० 578/21 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना सदर बाजार स०पुर
2. मु०अ०सं० 498/21 धारा 379/411 भादवि थाना सदर बाजार स०पुर
3. मु०अ०सं० 503/21 धारा 4/25 आर्सम एक्ट थाना सदर बाजार स०पुर
4. मु०अ०सं० 499/21 धारा 379/411 भादवि थाना सदर बाजार स०पुर
5. मु०अ०सं० 501/21 धारा 414/420/465 भादवि थाना सदर बाजार स०पुर
6. मु०अ०सं० 441/24 धारा 304(2) बीएनएस थाना को० देहात स०पुर
7. मु०अ०सं० 408/24 धारा 304(2) बीएनएस थाना सदर बाजार स०पुर
8. मु०अ०सं० 611/24 धारा 304(2)/62 बीएनएस थाना सदर बाजार स०पुर

### अभियुक्त विनित पंवार का आपराधिक इतिहास:-

1. मु०अ०सं० 441/24 धारा 304(2) बीएनएस थाना को० देहात जनपद सहारनपुर
2. मु०अ०सं० 408/24 धारा 304(2) बीएनएस थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री सूबे सिंह थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर।
2. उ०नि० श्री राहुल शर्मा थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर
3. उ०नि० मौ० जहांगीर थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर।
4. उ०नि० श्री दीपक कुमार थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर।
5. उ०नि० श्री देवीचरण थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर।
6. है०का० 869 सुमित थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर।
7. का० 1565 विनय थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर।
8. का० 173 रोहित थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर।



-प्रेस नोट-

दिनांक:22.10.2024

## वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

### थाना बडगाँव, पुलिस द्वारा अलग-अलग मामलों में 05 वारण्टी अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी/शातिर अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष श्री विनय शर्मा के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 22.10.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना बडगाँव पुलिस टीम द्वारा अलग-अलग मामलों में 05 वारण्टी अभियुक्तगण 1- अनिल कुमार पुत्र रघुवीर निवासी ग्राम सिसौनी थाना बडगाँव जिला सहारनपुर को सम्बन्धित वाद संख्या 361/19 व मु0अ0सं0 261/8 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम थाना बडगाँव में, 2- मोहित पुत्र पप्पू निवासी ग्राम खुदाबक्शपुर थाना बडगाँव जिला सहारनपुर को सम्बन्धित वाद संख्या 1044/22 व मु0अ0सं0 128/22 धारा 380/411 भादवि थाना बडगाँव में, 3- मोनू कुमार पुत्र फतेह सिंह निवासी ग्राम शिमलाना थाना बडगाँव जिला सहारनपुर को सम्बन्धित वाद संख्या 435/21 व मु0अ0सं0 62/21 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम थाना बडगाँव में 4- सन्जू पुत्र भोपाल उर्फ गोपाल निवासीगण ग्राम शिमलाना थाना बडगाँव जिला सहारनपुर को सम्बन्धित वाद संख्या 922/16 व मु0अ0सं0 111/03 धारा 147/435/504/427 भादवि थाना बडगाँव में व 5- कुशलपाल पुत्र इसम सिंह निवासी ग्राम शिमलाना थाना बडगाँव जिला सहारनपुर को सम्बन्धित मु0अ0सं0 111/03 धारा 147/435/504/427 भादवि थाना बडगाँव में मा0 न्यायालय सिविल जज (जू0डी0) / न्यायिक मैजिस्ट्रेट देवबन्द द्वारा निर्गत वारण्ट मे जनपद सहारनपुर से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

#### गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम पता

- 1- अनिल कुमार पुत्र रघुवीर निवासी ग्राम सिसौनी थाना बडगाँव जिला सहारनपुर
- 2- मोहित पुत्र पप्पू निवासी ग्राम खुदाबक्शपुर थाना बडगाँव जिला सहारनपुर
- 3- मोनू कुमार पुत्र फतेह सिंह निवासी ग्राम शिमलाना थाना बडगाँव जिला सहारनपुर
- 4- सन्जू पुत्र भोपाल उर्फ गोपाल निवासी ग्राम शिमलाना थाना बडगाँव जिला सहारनपुर
- 5- कुशलपाल पुत्र इसम सिंह निवासी ग्राम शिमलाना थाना बडगाँव जिला सहारनपुर

#### अभियुक्त अनिल उपरोक्त का आपराधिक इतिहास

- 1- मु0अ0सं0 12/24 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम थाना बडगाँव जिला स0पुर
- 2- मु0अ0सं0 36/19 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम थाना बडगाँव जिला स0पुर
- 3- मु0अ0सं0 261/18 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम थाना बडगाँव जिला स0पुर

#### अभियुक्त मोहित उपरोक्त का आपराधिक इतिहास

- 1- मु0अ0सं0 128/22 धारा 380/411 भादवि थाना बडगाँव जिला स0पुर
- 2- मु0अ0सं0 209/22 धारा 379/511 भादवि थाना बडगाँव जिला स0पुर

#### अभियुक्त मोनू कुमार उपरोक्त का आपराधिक इतिहास

- 1- मु0अ0सं0 62/21 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम थाना बडगाँव जिला स0पुर

### अभियुक्त सन्जु उपरोक्त का आपराधिक इतिहास

1- मु0अ0सं0 111/03 धारा 147/435/504/427 भादवि थाना बडगांव

### अभियुक्त कुशलपाल उपरोक्त का आपराधिक इतिहास

1- मु0अ0सं0 111/03 धारा 147/435/504/427 भादवि थाना बडगांव

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -

- 1- उ0नि0 श्री रणपाल सिंह थाना बडगांव जिला सहारनपुर
- 2- उ0नि0 श्री आलोक कुमार थाना बडगांव जिला सहारनपुर
- 3- कां0 547 अंकुश तोमर थाना बडगांव जिला सहारनपुर
- 4- कां0 2462 कोमल थाना बडगांव जिला सहारनपुर



दिनांक: 22.10.2024

-प्रेस नोट-

**वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश**

**थाना नकुड़, सहारनपुर पुलिस द्वारा चोरी की घटनाओं का सफल अनावरण करते हुए 01 शातिर नकबजन/अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे/निशानदेही पर चोरी गये 03 इन्वर्टर, सफेद/पीली धातु के आभूषण व 7000/- रुपये नकद बरामद**

अवगत कराना है कि दिनांक 28.08.24 को वादी श्री जरासिंह पुत्र श्री रुपराम निवासी ग्राम मोहिद्वीनपुर थाना नकुड़ जिला सहारनपुर की लिखित तहरीर बावत अभियुक्त निशान्त पुत्र धर्मेन्द्र निवासी ग्राम रनियाला दयालपुर थाना नकुड़ जिला सहारनपुर द्वारा दिनांक 22.08.24 को रात्रि में वादी के घर से 05 तोला सोना, 20 तोला चांदी व 01 एल0ई0डी0 तथा 1,70,000 रुपये व 01 फोन सैमसंग का मोबाइल फोन चोरी कर ले जाने के सम्बन्ध में थाना नकुड़ पर मु0अ0सं0 295/24 धारा 305 बीएनएस के पंजीकृत किया गया तथा दिनांक 14.10.24 को वादी श्री सचिन कुमार पुत्र ओम कुमार निवासी ग्राम नगला माफी थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर की लिखित तहरीर बावत अज्ञात चोर द्वारा ग्राम खेडा अफगान बस स्टैण्ड के पास स्थित बैटरी इन्वर्टर की दुकान में पिछले हिस्से की दीवार को फाड़ कर दुकान से 05 नए इन्वर्टर व 04 पुराने इन्वर्टर चोरी कर ले जाने के सम्बन्ध में थाना नकुड़ पर मु0अ0सं0 362/24 धारा 331(4)/305 बीएनएस के पंजीकृत किया गया था। विवेचना से उक्त मुकदमों में अभियुक्त सोनू पुत्र मेहताब उर्फ नूनू निवासी गांव शेखपुरा कदीम थाना कोतवाली देहात जिला सहारनपुर का नाम प्रकाश में आया है।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा चोरी की घटनाओं की रोकथाम व नकबजन/चोर/शातिर अपराधियों की गिरफ्तारी व माल की बरामदगी हेतु आदेश-निर्देश दिये गये थे। आदेश के क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री धर्मेन्द्र कुमार गौतम के कुशल नेतृत्व में दिनांक 21.10.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना नकुड़ पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त मुकदमों में चोरी की घटनाओं का सफल अनावरण करते हुए शातिर नकबजन/अभियुक्त निशान्त पुत्र धरेन्द्र सिंह निवासी ग्राम रनियाला दयालपुर थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर को ग्राम खेडा अफगान स्थित कृषि भवन के गेट के सामने से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 01 जोड़ी सफेद धातु की पाजेब, 02 पीली धातु की अंगूठी (महिला), 01 जोड़ी पीली धातु के कानो के टोप्स, 01 पीली धातु का मंगलसूत्र, 7000/- रुपये नकद व 03 इन्वर्टर बरामद। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर उपरोक्त मुकदमों में धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गई। अभियुक्त निशान्त उपरोक्त एक शातिर किस्म का नकबजन अपराधी है जिस पर जनपद के थानों में करीब आधा दर्जन मुकदमों दर्ज है। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

**पूछताछ का बयान:-** अभियुक्त निशान्त उपरोक्त ने पूछने पर बताया कि मैं कक्षा 10 वीं तक पढा हुआ हूँ और मैं चोरी के कई मुकदमों में जेल जा चुका हूँ वहाँ पर मेरी मुलाकात सोनू से हो गयी थी। जेल से छुटने के बाद मैं अपने दोस्त सोनू के घर पर ही रहने लगा था। करीब 2 माह पहले मैं और मेरा दोस्त सोनू गांव खेडा अफगान में आये जहा पर हमे गांव मोहिद्वीनपुर का अमित उर्फ गबरू पुत्र जरा सिंह मिला वह हम दोनो को जेल में मिला था वह हम दोनो को अपने घर पर ले आया और रात्रि में हम दोनो उसके घर पर रुके, अगले दिन हम दोनो शेखपुर कदीम पर आ गये। सोनू ने मुझसे कहा कि हमारे पास पैसे खत्म हो गये है आज गबरू के घर पर जाकर चोरी करते है, हम दोनो रात्रि में ही गबरू के घर पर आये, मैं बाहर गली में खडा हो गया और सोनू गबरू के घर के अन्दर चला गया थोड़ी देर बाद वह घर के अन्दर से कुछ जेवर व 01 एलसीडी लेकर आया। हम दोनो वह सामान लेकर

शेखपुर कदीम चले गये। अगले दिन सोनू ने चोरी किये हुये कुछ जेवर और रुपये में से मेरे हिस्से के कुछ जेवर व 20,000/- रुपये मुझे दे दिये। उनमें से मैंने 13000/- रुपये खर्च कर दिये तथा शेष 7000/- रुपये मेरे पास बचे थे। पकड़े जाने की डर से आज इन्ही जेवरो को बेचने के लिए मैं खेडा अफगान आया था। आज से करीब 9 दिन पहले भी मैंने और मेरे दोस्त ने खेडा अफगान से एक दुकान से इन्वर्टर चोरी किये थे, जिनमे से 03 इन्वर्टर सोनू मुझे दिये थे और शेष इन्वर्टर अपने साथ ले गया था।

### गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

निशान्त पुत्र धरेन्द्र सिंह निवासी ग्राम रनियाला दयालपुर थाना नकुड जनपद सहारनपुर

### बरामदगी का विवरण –

- 7000/- रुपये नकद
- 01 जोड़ी सफेद धातु की पाजेब
- 02 पीली धातु की अंगूठी (जनानी)
- 01 जोड़ी पीली धातु के कानो के टोप्स
- 01 पीली धातु का मंगलसूत्र
- 03 इन्वर्टर

### अभियुक्त निशान्त उपरोक्त का अपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0सं0 84/23 धारा 413/414/420/465 बीएनएस चालानी थाना नकुड जिला सहारनपुर
2. मु0अ0सं0 301/22 धारा 380 भादवि चालानी थाना नकुड जिला सहारनपुर
3. मु0अ0सं0 301/23 394/411 भादवि चालानी थाना नकुड जिला सहारनपुर
4. मु0अ0सं0 300/23 धारा 379/411 भादवि चालानी थाना नकुड जिला सहारनपुर
5. मु0अ0सं0 295/24 धारा 305/317(2) बीएनएस चालानी थाना नकुड जिला सहारनपुर
6. मु0अ0सं0 362/24 धारा 331(4)/305/317(2) बीएनएस चालानी थाना नकुड जिला सहारनपुर

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री धर्मेन्द्र गौतम थाना नकुड जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री सत्येन्द्र शर्मा थाना नकुड जनपद सहारनपुर
3. का0 1890 मोन्टी कुमार थाना नकुड जनपद सहारनपुर
4. का0 1921 विकास कुमार थाना नकुड जनपद सहारनपुर
5. का0 65 पिन्टू कुमार नकुड जनपद सहारनपुर



दिनांक: 22.10.2024

-प्रेस नोट-

## वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

### थाना सरसावा पुलिस द्वारा अपहर्ता को सकुशल बरामद करते हुए अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 19.05.2024 को वादी की लिखित तहरीर बाबत वादी की बहन का घर से बिना बताये कहीं चले जाने के सम्बन्ध में थाना सरसावा पर मु0अ0सं0 122/24 धारा 363 भादवि पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर के निर्देशन में महिला सम्बन्धी अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी नकुड के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री नरेन्द्र कुमार शर्मा के कुशल नेतृत्व में दिनांक 21.10.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना सरसावा पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में त्वरित कार्यवाही करते हुए अपहर्ता को सकुशल बरामद करते हुए **अभियुक्त अविकाश कुमार पुत्र सुरेशपाल निवासी नंगला ततारपुर थाना हसायन जनपद हाथरस** को जनपद हाथरस से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

#### गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

अविकाश कुमार पुत्र सुरेशपाल निवासी नंगला ततारपुर थाना हसायन जिला हाथरस

#### गिरफ्तार करने वाली टीम

- उ0नि0 श्री रणवीर सिंह थाना सरसावा जनपद सहारनपुर
- का0 2517 शिव कुमार थाना सरसावा जनपद सहारनपुर
- म0का0 941 चाँदनी थाना सरसावा जनपद सहारनपुर



दिनांक: 22.10.2024

-प्रेस नोट-

**वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश**

**थाना मिर्जापुर, सहारनपुर पुलिस द्वारा 02 चोर/अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की गयी बिजली मोटर बरामद**

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व नकबजनी/चोरी आदि घटनाओं की रोकथाम हेतु लगातार चैकिंग अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री बीनू सिंह के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 22.10.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना मिर्जापुर पुलिस टीम द्वारा बिजली मोटर चोरी कर ले जाते 02 शातिर नकबजन/अभियुक्तगण 1. रियासत पुत्र रशीद निवासी एकता कालोनी थाना कुतुबशेर जिला सहारनपुर व अभियुक्त अजीम पुत्र इस्लाम निवासी चांद कालोनी निकट इन्द्रा चौक थाना मण्डी जिला सहारनपुर को ग्राम खुशहालपुर से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण के कब्जे से चोरी की गयी बिजली मोटर बरामद। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना मिर्जापुर पर मु0अ0स0 181/2024 धारा 331(4)/305(A)/ 317(2) बीएनएस के पजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

**विवरण पूछताछ-** अभियुक्तगण ने पूछताछ करने पर एक साथ बताया कि हम लोग दिन में कबाड चुनने का काम करते हैं और उसी समय एकान्त दुकान व घरों की रेकी कर लेते हैं तथा योजनाबद्ध तरीके से चिन्हित मकानों/दुकानों से जो भी सामान हाथ लगता है चोरी कर लेते हैं। चोरी किये गये सामान का सही खरीददार ढूंढकर अच्छे दामों पर बेच देते हैं चोरी का सामान बेचकर जो रुपये मिलते हैं उनको आपस में बांट लेते हैं। कल रात भी हम लोगो ने एक बिजली मोटर चोरी की थी जिसको हम लोग बेचने जा रहे थे।

**गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता -**

1. रियासत पुत्र रशीद निवासी एकता कालोनी थाना कुतुबशेर जिला सहारनपुर
2. अजीम पुत्र इस्लाम निवासी चांद कालोनी निकट इन्द्रा चौक थाना मण्डी जिला सहारनपुर

**बरामदगी का विवरण -**

01 चोरी की गयी बिजली मोटर

**अभियुक्त अजीम उपरोक्त का आपराधिक इतिहास:-**

1. मु0अ0स0 104/18 धारा 380,457 भादवि थाना कुतुबशेर सहारनपुर
2. मु0अ0स0 219/18 धारा 2/3 गैंगस्टर अधि0 थाना कुतुबशेर सहारनपुर
3. मु0अ0स0 38/16 धारा 380,411,457 भादवि थाना कोतवाली देहात सहारनपुर
4. मु0अ0स0 91/18 धारा 307,411 भादवि थाना कोतवाली मण्डी सहारनपुर
5. मु0अ0स0 93/18 धारा 25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली मण्डी सहारनपुर

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-**

1. उ0नि0 श्री बिजेन्द्र सिंह रावल थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर।
2. का0 739 मनीष कुमार थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर।



दिनांक: 22.10.2024

-प्रेस नोट-

## वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

### थाना नानौता, सहारनपुर पुलिस द्वारा अवैध शराब तस्करी करते 02 शातिर नशा तस्कर/अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 420 पक्के अवैध देशी शराब चण्डीगढ़ मार्का बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में मदाक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम व नशे के कारोबार में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष श्री अमित नागर के कुशल नेतृत्व में दिनांक 21.10.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना नानौता पुलिस टीम द्वारा 02 नशा तस्कर/ अभियुक्तगण 1. बाबूराम पुत्र धर्मपाल निवासी ग्राम जम्बूगढ़ थाना नानौता जनपद सहारनपुर व 2. सुनित कुमार पुत्र पाल्ला निवासीग्राम जम्बूगढ़ थाना नानौता जनपद सहारनपुर को भनेडा खेमचन्द जाने वाले रोड पर रुहाडा नाले के किनारे से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण उपरोक्त के कब्जे से 420 पक्के देशी शराब टैंगो संतरा मसालेदार चण्डीगढ़ मार्का बरामद। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना नानौता पर मु0अ0सं0 248/24 धारा 60/63 आबकारी अधिनियम के पंजीकृत किया गया। अभियुक्तगण के विरुद्ध विधिक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

अभियुक्तगण उपरोक्त ने पूछताछ पर बताया कि हम लोग नशा करने के आदी है। हम लोग अपनी नशे की जरूरतों व अपने शौक पूरा करने के लिए बाहर से सस्ते दामों पर शराब ले आते हैं और अपने आसपास के लोगों को जो नशा करते हैं उनको थोड़े ज्यादा पैसे में बेच देते हैं। जिससे हम लोगो की अच्छी कमाई हो जाती है।

#### गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता:-

1. बाबूराम पुत्र धर्मपाल निवासी ग्राम जम्बूगढ़ थाना नानौता जनपद सहारनपुर
2. सुनित कुमार पुत्र पाल्ला निवासी ग्राम जम्बूगढ़ थाना नानौता जनपद सहारनपुर

#### बरामदगी का विवरण:-

420 पक्के देशी शराब टैंगो संतरा मसालेदार चण्डीगढ़ मार्का

#### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 श्री धीरज सिंह थाना नानौता जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री निप्पी सिंह थाना नानौता जनपद सहारनपुर
3. उ0नि0 श्री जयवीर सिंह थाना नानौता जनपद सहारनपुर
4. का0 2032 सचिन कुमार थाना नानौता जनपद सहारनपुर
5. का0 2336 गौरव कुमार थाना नानौता जनपद सहारनपुर



-प्रेस नोट-

दिनांक: 22.10.2024

**वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश**

**थाना सरसावा पुलिस द्वारा 01 शातिर अभियुक्त को अवैध असलाह/कारतूस सहित किया**

### **गया गिरफ्तार**

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी/शातिर अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी नकुड के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री नरेन्द्र कुमार शर्मा के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 22.10.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना सरसावा पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान **अभियुक्त वाजिद पुत्र आशिक निवासी ग्राम भटपुरा थाना सरसावा जिला सहारनपुर** को ग्राम भटपुरा गोकलपुर मार्ग पर पानी की टंकी के पास से गिरफ्तार किया। अभियुक्त के कब्जे से 01 तमन्चा व 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना सरसावा पर मु0अ0सं0 324/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट के पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

अभियुक्त ने पूछने पर बताया कि मैं कक्षा 9 तक पढा हूँ और यह तमन्चा काफी दिनों पहले राह चलते एक अनजान व्यक्ति से खरीदा था जिसका नाम/पता नहीं जानता हूँ। तमन्चा मैं लोगो को डराने धमकाने के लिए अपने पास रखता हूँ।

#### **गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-**

वाजिद पुत्र आशिक निवासी ग्राम भटपुरा थाना सरसावा जिला सहारनपुर

#### **बरामदगी का विवरण:-**

01 तमन्चा 315 बोर

02 जिन्दा कारतूस 315 बोर

#### **अभियुक्त वाजिद उपरोक्त का आपराधिक इतिहास:-**

1. मु0अ0सं0 48/24 धारा 147,149,323,352,427 भादवि थाना सरसावा जनपद सहारनपुर
2. मु0अ0सं0 324/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना सरसावा जनपद सहारनपुर

#### **गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-**

1. उ0नि0 श्री रामवीर सिंह, थाना सरसावा जनपद सहारनपुर
2. है0का0 951 सुधीर उज्ज्वल थाना सरसावा जनपद सहारनपुर
3. का0 1997 विनीत तोमर थाना सरसावा जनपद सहारनपुर



-प्रेस नोट-

दिनांक: 22.10.2024

**वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश**

**थाना मण्डी पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार**

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री नेमचन्द सिंह के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 14.10.2024 को थाना मण्डी पुलिस टीम द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त शाहिद अंसारी पुत्र फतैह मौहम्मद नि० गली न० 39 गुलमोहर वाली मस्जिद के पास सिराज कालोनी खाताखेड़ी थाना मण्डी जनपद सहारनपुर को सम्बन्धित वाद सं० – 6347/24 मु०अ०सं० 345/22 धारा 328/376 भादवि चालानी थाना कोतवाली नगर नियत दिनांक 29.10.2024 (मा० न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट स०पुर) में थाना मण्डी क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही कर मा० न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

**गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –**

शाहिद अंसारी पुत्र फतैह मौहम्मद निवासी गली न० 39 गुलमोहर वाली मस्जिद के पास सिराज कालोनी खाताखेड़ी थाना मण्डी स०पुर।

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –**

1. व०उ०नि० श्री विजेन्द्र सिंह थाना मण्डी जनपद सहारनपुर
2. है०का० 477 विनोद कुमार थाना मण्डी जनपद सहारनपुर



-प्रेस नोट-

दिनांक: 22.10.2024

**वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश**

**थाना कोतवाली मण्डी पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार**

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी/शातिर अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री नेमचन्द सिंह के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 22.10.2024 को थाना मण्डी पुलिस टीम द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त सुहैल पुत्र सरवत हुसैन नि0 गली न0 4 विसातियों का मदरसा राव असलम वाली गली मंसूर कालोनी थाना मण्डी जनपद सहारनपुर को सम्बन्धित वाद सं0 – 2847/23 धारा 125(3) सीआरपीसी चालानी नियत दिनांक 08.11.2024 (मा0 न्यायालय प्रधान न्यायाधीश/परिवार न्यायालय स0पुर) में थाना क्षेत्र मण्डी से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

**गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –**

सुहैल पुत्र सरवत हुसैन निवासी गली न0-4, विसातियों का मदरसा, राव असलम वाली गली मंसूर कालोनी थाना मण्डी जनपद सहारनपुर।

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –**

1. उ0नि0 श्री अश्वनी कुमार थाना मण्डी जनपद सहारनपुर
2. है0का0 672 प्रदीप कुमार थाना मण्डी जनपद सहारनपुर
3. का0 1600 मनोज आर्य थाना मण्डी जनपद सहारनपुर